

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम: — Construction of a Room for Bio-Medical Waste.

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष:— Construction of a Room for Bio-Medical Waste.

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या: — B: 5.9

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5—10 वाक्य अधिकतम): — स्वास्थ्य संस्थानों में Bio-Medical Waste Management की व्यवस्था को सुनियोजित किया जाना है। इसके लिए आवश्यक है कि इन्हें एक जगह एकत्रित किया जाय। इसके लिए एक 10'x8' आकार के कमरे की आवश्यकता बताई गयी। प्रथम चरण में 36 जिलों के सदर अस्पतालों में (गया जिला में दो अस्पताल प्रभावती अस्पताल गया एवं जयप्रकाश नारायण अस्पताल गया) एक-एक कमरा बनाने हेतु इस वर्ष के पी0आई0पी0 में स्वीकृति दी गयी है।

इकाई राशि (रु० में) : — रु० 8.00 लाख।

वित्तीय दिशा निर्देश : — जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति इस कमरा का निर्माण "रथानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन" (Local Area Engineering Organisation) से करा सकते हैं। अगर किसी जिला में यह संगठन कार्यरत नहीं हो तो वे किसी भी अभियंत्रण संगठन से भवन निर्माण कार्य करा सकते हैं। चयनित विभाग/निगम/संगठन से विस्तृत तकनिकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार वे प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते हैं। निर्माण कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कराया जाना है। निर्माण कार्य में सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, वित्तीय दिशा निर्देशन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा इसका प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह में कार्य समाप्ति तक उपलब्ध करायेगे।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम:— श्री आर० बी० पी० यादव, भ०प्र०स०० (सौनिर०)
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : — 9470003009 / 0612—3263162

13/7/13